# मध्यप्रदेश विधान सभा

## फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

**मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 (फाल्गुन 28, 1929)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक, तथा

(ख) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में सूखा एवं पाला से फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य, मंदसौर जिले के कम्बल बुनकरों को कच्चा माल न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ग्रामोद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, उज्जैन स्थित आर.डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, बृजेन्द्र तिवारी, सत्यदेव कटारे, सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में उपस्थिति के अभिलेख हेतु बायोमैट्रिक मशीन खरीदी में अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 388वां से 399वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

**निर्धारित समय**

## 5. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.....(क्रमशः)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2 घन्टे** | (1) | मांग संख्या - 22 | नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय |
| | | मांग संख्या - 28 | राज्य विधान मंडल |
| | | मांग संख्या - 53 | अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या - 68 | आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या - 75 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता. |
| **1 घन्टा 30 मि.** | (2) | मांग संख्या - 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| | | मांग संख्या - 61 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | | मांग संख्या - 72 | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास. |
| **1 घन्टा** | (3) | मांग संख्या - 37 | पर्यटन |
| | | मांग संख्या - 43 | खेल एवं युवक कल्याण |

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) का *पुर:स्थापन करेंगे.

**30 मि.** (2) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**30 मि.** (3) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**30 मि.** (4) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**डॉ. ए.के. पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 17 मार्च, 2008**

---

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**